"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002—अग्रहायण 22, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-02-29/2002/1-8.—श्री आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग तथा खनिज साधन विभाग, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रम, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री के विशेष सहायक के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 1552/2002/1-8/स्था.—श्री बी. पी. एस. नेताम, उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 18-11-2002 से 30-11-2002 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री नेताम को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. अवकाश से लौटने पर श्री नेताम को पुन: उप-सचिव के पद पर स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री नेताम यदि अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, स्कूल शिक्षा के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 5-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6, दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकमार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-11-2002 से दो माह की अवधि की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 2804/1910/2002/2/एक.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को इस विभाग के पत्र क्रमांक 2363/1910/2002/2/एक, दिनांक 6-9-2002 द्वारा दिनांक 7-9-2002 से 13-9-2002 (7 दिवस) तक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी अनुक्रम में श्रीमती छिब्बर का दिनांक 14-9-2002 से 19-9-2002 (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 6-9-2002 में उल्लेखित कालम क्रमांक 2 से 5 यथावत रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 2812/ 2307/ साप्रवि/ 02/1/ आए. ए. एस./लीव.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग को, दिनांक 13-12-2002 से 18-1-2003 (37 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही विदेश यात्रा (कनाडा एवं अमेरिका) की अनुमति भी दी जाती है. दिनांक 19-1-2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति स्वीकृत है.

2. श्री बी. के. एस. रे, को अवकाश से वापिस आने पर पुन: प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री बी. के. एस. रे, को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक डी/8151/2026/21-अ (स्था.) छ. ग./2002.—राज्य शासन, श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में अतिरिक्त सचिव के पद पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5855/दो-2-101/2001/गोपनीय/2002, दिनांक 13-11-2002 के अनुपालन में अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2002

क्रमांक 8258/डी-2740/21-ब/छ. ग./2002.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5857/11-2/16/2001, दिनांक 13-11-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री पी. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सेवायें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर

को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक 3989/3527/2002/सत्रह.—राज्य शासन एतद्द्वारा जांजगीर (चांपा) के नये जिला चिकित्सालय का नामकरण तत्काल प्रभाव से "बैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल जिला चिकित्सालय" करता है.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 4052/582/एम/2002/17.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्ग का नामकरण "मोहनलाल बाकलीवाल शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय" की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार धुव, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक 2783/1652/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3198 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 29-10-2002 से दिनांक 28-12-2002 तक के लिये दो माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक 2784/1652/02/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9-10-2002 से दिनांक 8-12-2002 तक के लिये दो माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक F 6-2/2002/(6)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (State Level Export Prmotion Committee) का गठन आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार करता है :—

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	सदस्य
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग	सदस्य
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	सदस्य
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी.	सदस्य
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.	सदस्य
8. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई.	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (राज्य प्रकोष्ठ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली.	सदस्य
10. महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल.	सदस्य
11. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रायपुर.	सदस्य
12. अध्यक्ष, कान्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्डस्ट्रीज वाणिज्य एवं उद्योग (राज्य प्रकोष्ठ) नई दिल्ली, स्टेट सेल, भिलाई.	सदस्य
13. अध्यक्ष, कान्फेडरेशंन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, स्टेट सेल, रायपुर.	सदस्य
14. अध्यक्ष, पी. एच. डी. चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, स्टेट सेल, रायपुर.	सदस्य
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर.	सदस्य सचिव.

2. मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अपर मुख्य सचिव राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की अध्यक्षता करेंगे.

3. अध्यक्ष की अनुज्ञा से आवश्यकतानुसार ज्यादा सदस्य सहयोग करेंगे अथवा विशेष आमंत्रितों के रूप में बुलाये जा सकेंगे.

4. राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास को होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन, विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2002

क्रमांक 3776/1866/ज.सं./2002.—श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री के पद पर जब मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर के अंतर्गत पदस्थ थे, तब इनके विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा इनके श्यामनगर, रायपुर स्थित निवास पर दिनांक 2-11-1995 को तलाशी के दौरान ज्ञात

आय से स्रोतों से काफी अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाये जाने के कारण क्र. 0/95 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, तद्आधार पर थाना विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल में अपराध क्रमांक 120/95 पंजीबद्ध किया गया.

2. विवेचना/जांच हेतु चेक अवधि दिनांक 1-1-1981 से दिनांक 2-11-1995 की अवधि निर्धारित की गई, विवेचना उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों से यह बात प्रमाणित हुई कि आलोच्य अवधि के पूर्व अर्थात् दिनांक 6-2-1980 से दिनांक 31-12-1980 तक आरोपी की कुल आय 7282/- रु. एवं व्यय 4369/- रु. पाया गया, उक्त आय में से व्यय घटाने पर 2913/- रु. शेष बचते हैं, जो कि आरोपी की चेक अवधि के पूर्व की बचत है. आलोच्य अवधि (दिनांक 1-1-1981 से 2-11-1995 तक) में आरोपी की कुल आय समस्त ज्ञात स्रोतों से कुल रुपये 6,60,577/- एवं आलोच्य अवधि के पूर्व की बचत राशि रुपये 2913/- जोड़ने पर कुल आय रु. 6,63,490/- होती है, जबकि आरोपी द्वारा इस अवधि में रुपये 17,78,377/- व्यय किये गये. कुल व्यय रुपये 17,78,377/- में से कुल आय रुपये 6,63,490/- घटाने पर रुपये 11,14,847/- शेष बचते हैं, जो कि आरोपी द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति है, जिसके संबंध में श्री शर्मा द्वारा कोई संतोषजनक तथ्य/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

3. प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8/50/2000/ पं. क्र. 534/21-क (अभि.), दिनांक 27-5-2000 से श्री शर्मा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 30-6-2000 को मान. विशेष न्यायालय, रायपुर में चालान प्रस्तुत किया गया, चालानी कार्यवाही के फलस्वरूप श्री शर्मा को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 3328351 (473), दिनांक 12 जुलाई 2000 द्वारा निलंबित किया गया.

4. माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्र. 10/2000 विरुद्ध श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री प्रकरण में निर्णय दिनांक 30 अप्रैल 2002 के द्वारा श्री शर्मा को अवैध साधनों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप प्रमाणित मानते हुए धारा 13 (1) ई, सहपठित धारा 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये जाने के साथ ही अनुपातहीन संपत्ति रुपये 4,97,750/- अपील अवधि के पश्चात् राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि श्री शर्मा का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध पाया गया है, शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

5. मान. विशेष न्यायालय, रायपुर के निर्णय दिनांक 30-4-2002 की प्रत्याशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (9) के अंतर्गत श्री डी. पी. शर्मा, सहायक यंत्री के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत किये जाने जो कि मामूली तौर पर भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधानिक निर्णय लिया गया है. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-1998 के अनुसार उक्त शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

6. चूंकि श्री शर्मा, सहायक यंत्री, राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं, अत: अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1115/166/2002/जी.एस./दिनांक 17 अक्टूबर 2002 से राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई है.

7. अत: राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, सहायक यंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 19 (1) एवं सहपठित नियम, 10 (9) के अंतर्गत शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने के दंड से दंडित किया जाता है, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2002

क्रमांक 3780/880/ज. सं./2001.—श्री के. के. शुक्ला, जब सहायक यंत्री के पद पर रायपुर में पदस्थ थे, तब इनके विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अपराध क्र. 12/93 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, तथा दिनांक 4-2-93 को इनके शैलेन्द्रनगर रायपुर स्थित निवास गृह की तलाशी ली गई, जांच हेतु चैक अवधि दिनांक 1-1-81 से 5-2-93 निर्धारित की गई. विवेचना उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों से यह बात प्रमाणित हुई कि चेक अवधि में आय के समस्त ज्ञात स्रोतों से कुल रु. 10,30,120/- की आय हुई, जबकि उसने इस अवधि में 18,54,293/- रु. की राशि व्यय/निवेश की, इस प्रकार आरोपी के पास रुपये 8,24,173/- की अनुपातहीन संपत्ति होना पाया गया, जिसके संबंध में श्री शुक्ला द्वारा कोई संतोषप्रद तथ्य/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

2. प्रकरण में म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8/279/96/21-क (अभि.), दिनांक 31-10-1996 से श्री शुक्ला के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 20-11-96 को मान. विशेष न्यायालय, रायपुर में चालान प्रस्तुत किया गया, चालानी कार्यवाही के फलस्वरूप श्री शुक्ला को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3328351 (343), दिनांक 1-1-1997 द्वारा निलंबित किया गया.

3. मान. विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्र. 9/96 विरुद्ध श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री प्रकरण में निर्णय दिनांक 19-4-2002 के द्वारा श्री शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप प्रमाणित मानते हुए धारा 13 (1) ई, सहपठित धारा 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 5,000/- अर्थदंड से दंडित किये जाने के साथ ही अनुपातहीन संपत्ति रु. 5,72,761/- राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि श्री शुक्ला का कृत्य जिसके लिए इन्हें दोषसिद्ध माना गया है, शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

4. माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर के निर्णय दिनांक 19-4-2002 की प्रत्याशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 (9) के अंतर्गत श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत किये जाने, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधानिक निर्णय लिया गया है. म. प्र. शासन. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-1998 के अनुसार उक्त शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

5. चूंकि श्री शुक्ला, सहायक यंत्री राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं, अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1114/162/2002/जीएस, दिनांक 17 अक्टूबर 2002 से राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई है.

6. अतः राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री के. के. शुक्ला, सहायक यंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-19 (1) एवं सहपठित नियम-10 (9) के अंतर्गत शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने के दंड से दंडित किया जाता है, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, अवर सचिव.

कृषि, विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक ए-1-ए/13/2002/14-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 90/2002, दिनांक 11-9-2002 के द्वारा निम्नलिखित उप संचालक, कृषि की सेवायें अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदों पर पदस्थ किया जाता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	भारत शासन द्वारा जारी सूची का क्रमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बाल प्यासी	92	प्राचार्य, कृषक/ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, अजिरमा (अंबिकापुर).
2.	श्री पी. एन. सेंगर	93	प्राचार्य, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरावंड, जगदलपुर.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक ए-1-ए/14/2002/14-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 90/2002, दिनांक 11-9-2002 के द्वारा निम्नलिखित सहायक संचालक कृषि, राजपत्रित वर्ग-2 की सेवायें अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	भारत शासन द्वारा जारी सूची का क्रमांक	पदस्थापना कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डा. एन. के. दीक्षित	78	उप संचालक, कृषि, अंबिकापुर.
2.	श्री के. सी. गुप्ता	367	उप संचालक, कृषि, कवर्धा.
3.	श्री डी. पी. दीक्षित	375	उप संचालक, कृषि, जशपुर.
4.	श्री आर. के. राठौर	26	उप संचालक, कृषि, दुर्ग.
5.	कुमारी मनीषा वर्मा	31	आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्रीय परि-योजना, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-65/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन विभाग एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री अरविन्द कुमार एक्का	डिप्टी कलेक्टर
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री फूलसिंह ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर
3.	कु. शाहला निगार	सहायक कलेक्टर (सश्रेय).

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-65/गृह/2002.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रोती	विकासखण्ड अधिकारी
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त.
3.	श्री आर. बी. एस. डण्डोतिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
4.	श्री भुवन लाल बंजारे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	नाम	पदनाम	प्रश्नपत्र	स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	बस्तर-संभाग			
1.	श्री समुद्र साय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	द्वितीय	उच्च स्तर
2.	श्री कृष्ण कुमार पाबिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	भाग-ए	उच्च स्तर
	बिलासपुर-संभाग			
3.	श्री ललित शुक्ला	जिला संयोजक	द्वितीय	उच्च स्तर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-70/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र ''समाज शिक्षा'' (बिना पुस्तक के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	सश्रेय	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
2.	श्री साजिद मेमन	परियोजना अधिकारी
3.	श्रीमती उषा मिश्र	पर्यवेक्षक
	बस्तर-संभाग	
4.	श्री अशोक कुमार पाण्डे	परियोजना अधिकारी
5.	श्री महेश राम मरकाम	परियोजना अधिकारी
6.	श्रीमती सुनीता मण्डावी	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
	बिलासपुर-संभाग	
7.	श्री आनंद प्रकाश किस्पोट्टा	जिला महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
8.	श्री अतुल दाण्डेकर	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
9.	श्री मनोज कुमार	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
10.	श्री सूर्यकान्त गुप्ता	परियोजना अधिकारी
11.	श्री तारकेश्वर प्रकाश सिन्हा	परियोजना अधिकारी
12.	कु. पुष्पा किरण कुजूर	परियोजना अधिकारी
	उच्च स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	कु. विनीता मालवीय	पर्यवेक्षिका
2.	श्रीमती राजवन्ती साईमन	पर्यवेक्षिका
3.	श्रीमती प्रभादेवी शर्मा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
4.	श्रीमती प्रेमलता ठाकुर	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
	बिलासपुर-संभाग	
5.	श्रीमती अरूणा यादव	पर्यवेक्षिका
6.	श्रीमती शशिप्रभा सोनी	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
7.	श्रीमती शीला एक्का	पर्यवेक्षिका
8.	श्रीमती प्रभा लकड़ा	परियोजना अधिकारी
9.	श्रीमती सुशीला बखला	परियोजना अधिकारी
10.	श्रीमती अलबिना कुजूर	बाल विकास परियोजना अधिकारी.

निम्न स्तर

रायपुर-संभाग

(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती कुन्ती कुशरे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

बस्तर-संभाग

(1)	(2)	(3)
2.	श्रीमती जैनी बघेल	पर्यवेक्षिका
3.	कु. श्याम भास्कर	पर्यवेक्षिका
4.	कु. फबियाना टोप्पो	पर्यवेक्षिका
5.	श्रीमती मीना जुर्री	पर्यवेक्षिका
6.	श्रीमती जोहतरीन गौतम	पर्यवेक्षिका
7.	श्रीमती भावना कोडोपी	पर्यवेक्षिका
8.	श्रीमती पुष्पा मरकाम	पर्यवेक्षिका
9.	श्रीमती कला पोया	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
10.	श्रीमती पार्वती शर्मा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
11.	कु. शकीला बानो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

बिलासपुर-संभाग

(1)	(2)	(3)
12.	श्रीमती मोहिनी सिन्हा	पर्यवेक्षिका
13.	श्रीमती शांता सरोज एक्का	सहायक निर्देशिका
14.	श्रीमती फिलसिता लकड़ा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
15.	श्रीमती मोतिन बाई कुर्रे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
16.	श्रीमती एलिजाबेथ टोप्पो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-9-78/02/गृह.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "सामान्य विधि प्रश्न-पत्र 2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री आनंद कुदरया	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री अनिल कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-3/163/2/गृह/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का विभाजन कर दिया गया है. विभाजन उपरांत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पदस्थ अधिकारियों को रासायनिक परीक्षक एवं सहायक रासायनिक परीक्षक (एक्स आफिशियल पोष्ट) की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 (4) के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को रासायनिक परीक्षकं एवं सहायक रासायनिक परीक्षक घोषित किया जाता है.

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	घोषित पदनाम (3)	संकाय (4)
1.	डॉ. एम. पी. गौतम, संयुक्त संचालक	रासायनिक परीक्षक	
2.	श्रीमती शुभ्रा गौतम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	बॉयोलॉजी
3.	श्री गिरवर सिंह साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	भौतिकी
4.	डॉ. (श्रीमती) शेषा सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक रासायनिक परीक्षक	बॉयोलॉजी

Raipur, the 25th November 2002

No. F-3/163/2/Home/2002.—The State Government hereby makes division of the State Forensic Science Laboratory. The following officers posted at State Forensic Science Laboratory, Raipur, are hereby declared as Chemical Examiner and Assistant Chemical Examiner to the Government of Chhattisgarh respectively against their name under the provision of section 293 (4) Cr. P. C.

S. No. (1)	Name of Officer & Post (2)	Declared as (3)	Discipline (4)
1.	Dr. M. P. Goutam, Joint Director	Chemical Examiner	
2.	Smt. Shubhra Goutam, Senior Scientific Officer.	Assistant Chemical Examiner	Biology
3.	Shri G. S. Sahu, Senior Scientific Officer	Assistant Chemical Examiner	Physic
4.	Dr. (Smt.) Sesha Saxena Senior Scientific Officer.	Assistant Chemical Examiner	Biology

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/490/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9/अ-82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में.उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	बागबाहरा कला प. ह. नं. 119/67	1.11	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/488/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2/अ-82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	अछोला प. ह. नं. 3/3	1.345	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	कोडार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत अछोली सब माइनर एवम् अछोला सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/489/अ.वि.अ./भू-अर्जन/1/अ-82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	नवागांवकला प. ह. नं. 118/65	6.695	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक/487/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6/अ-82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	भालुचुंवा प. ह. नं. 109	51.45	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 7370/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	छिंदिया	0.64	कार्यपालन यंत्री, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बैकुण्ठपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बायंग प. ह. नं. 5	0.989	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना अंतर्गत रानीगुड़ा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	करवाडबरी	1.976	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डारा जलाशय के करवाडबरी माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रमतला	2.306	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के टाड़ापारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रमतला	1.571	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के रमतला माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/683.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्देली प. ह. नं. 6	0.654	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सक्ती उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/684.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	3.003	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	रगजा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/685.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सेन्दरी प. ह. नं. 3	0.020	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/686.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपजन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरा बरपाली प. ह. नं. 13	1.758	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/687.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मसनिया खुर्द प. ह. नं. 6	1.357	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	रीवांपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/688.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कर्रापाली प. ह. नं. 6	1.146	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/689.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध,उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	2.236	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/690.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	1.839	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया..	रगजा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/691.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध,उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्देली प. ह. नं. 7	1.405	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	बोरदा उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/692.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प. ह. नं. 10	3.355	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	सिंघनसरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाघाट, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
434	0.10
482	0.02
704	0.70

(1)	(2)
522	0.01
516	0.01
720	0.70
470	0.15
517	0.01
योग	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन बंद पार व डूबान.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय साजा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./26/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रजपुरीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.791 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
405/1	0.222
428/1	0.020
419	0.120
200	0.016
510/2	0.032
189	0.040
428/2	0.124
1610/2	0.020
1610/1	0.056
182	0.080
443	0.012
274	0.064
402/5	0.081
391	0.040
450/1	0.044
183	0.316
402/3	0.048
199	0.112
224/1	0.008
392	0.140
449	0.040
184	0.016
402/2	0.032
219	0.040
548/1	0.020
406	0.120
209	0.128
508/1	0.016
402/4	0.040
योग	1.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-सुखरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
779/1	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखरी सब माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./37/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-श्रीगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161/1	0.057
योग	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बांकी परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बनोरा/बेलरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.889 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम बनोरा	
908/2	0.068

(1)	(2)
909/3	0.028
909/12	0.028
910/1 क	0.121
910/2	0.056
911	0.113
912	0.072
योग 7	0.486

ग्राम बेलरिया

(1)	(2)
229/1	0.028
235	0.097
236/1	0.153
237	0.028
238	0.097
योग 5	0.403
बनौ ़ा	0.486
बलेरिया	0.403
कुल योग	0.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बनोरा, खैर-पाली, बेलरिया मार्ग के 3/2 पर छोटी केलो सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 714/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
583	0.081
576	0.053
575	0.045
1763	0.008
1775	0.024
573	0.040
572	0.032
538	0.081
537	0.069
1779	0.032
1778	0.008
536	0.036
528	0.032
523	0.032
522	0.065
521	0.036
518	0.024
510	0.089
517	0.061

(1)	(2)
509	0.061
508	0.069
2000	0.069
2462	0.105
2467	0.049
2499	0.053
2498	0.053
2508	0.032
2510	0.097
2517	0.036
2519	0.113
2520	0.008
2547	0.081
2546	0.040
2545	0.061
2570	0.053
2573	0.049
2574	0.057
2585	0.069
2584	0.113
3075	0.004
3076	0.016
3077	0.004
3074	0.020
3085	0.016
3073	0.004
3087	0.020
3086	0.004
3089	0.133
3072	0.016
3754	0.073
3755	0.008
3753	0.012
3752	0.012
3607/8, 9, 11, 10	0.162
3735	0.097
3741	0.004
3612/2 3734	0.174
3774/2	0.008
3775	0.024
2576	0.004
2578	0.012
2575	0.008
3090	0.004
3092	0.008
योग	2.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमगांव सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 715/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.712 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
314	0.020
315	0.162
316	0.525
317	0.353
308 309 310 311	0.494

(1)	(2)
312	0.045
307	0.040
306	0.061
305	0.109
345	0.635
346	0.170
347	0.085
342	0.089
341	0.146
350	0.996
335	0.069
334	0.137
332	0.162
331	0.049
333	0.040
349	0.065
330/1	0.085
330/2	0.057
330/3	0.008
329/2	0.012
412	1.112
413	0.162
414	
415	0.267
416	0.210
417	0.530
418	0.404
419	0.193
420	0.219
429	0.299
428	0.028
421	0.369
422	0.308
423	0.020
574	0.214
573	0.214
571	0.069
572	0.097
576	0.242
575	0.089
570	0.004
577/1	0.008
351/1	0.040
योग 47	8.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 716/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भाठटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.111 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
429/2	0.069
430	0.331
431	0.940
432	0.052
437	0.299

(1)	(2)
439	0.420
योग	2.111

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी; हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है,

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 717/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.532 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
553/3	0.008
566/1	0.089
566/4	0.263
565	0.012
567/1	0.130
568	0.154
567/2	0.069
569	0.012
570	0.101
579	0.069
578	0.065
580, 589	0.162
594	0.073
593	0.032
595/2	0.004
501, 505, 597/4	0.890
577	0.040
480, 506	0.065
481	0.024
479	0.053
390/2	0.316
390/1	0.004
472	0.024
389	0.180
386	0.235
330	0.130
331/3	0.073
358	0.061
359	0.154
360	0.069
355	0.012
354	0.045
362	0.080
363, 376/1	0.089
374	0.024
365	0.048
371, 671	0.162
369	0.080
368	0.073
664	0.150
665	0.200
661	0.004
663	0.004
योग 43 -	4.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 718/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-करौद, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391	0.024
392/1	0.283
393/1	0.004
3313	0.024
3314	0.024
3315	0.028
34/1	0.085
30	0.004
35/1	0.101
29/1	0.004
23/2	0.004
36	0.138
47	0.105
24/3	0.004
48	0.045
49/1	0.061
50/3, 50/4	0.053
45/1	0.004
50/5	0.057
82	0.069
80/1	0.073
88/1	0.004
79/2	0.040
78/2	0.049
76/1	0.085
94/1	0.065
110	0.061
111/2	0.036
112	0.004
130/1	0.344
133/1	0.081
140	0.004
139	0.101
144	0.049
146/1, 147, 148, 149, 150	0.206
151	0.004
194/1	0.045
194/2	0.008
195/1, 195/2	0.004
योग 39	2.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 719/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.252 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
938/2	0.121
937/4	0.036
937/1	0.089
937/2	0.053
936/5	0.028
936/3	0.008
936/4	0.073
935/2	0.008
935/3	0.032
936/1	0.049
932/1	0.150
932/2	0.137
931	0.085
928/4	0.081
928/5	0.138
928/6	0.061
190/1	0.061
190/2	0.004
198	0.234
205/3	0.004
199/1	0.105
199/4	0.012
199/3	0.028
204/2	0.069
204/3	0.049
237	0.182
236	0.004
241/1	0.158
246	0.032
247/2	0.004
245	0.122
242	0.040
243	0.069
244	0.061
260	0.061
261	
262	
263	
336/7	0.117
336/6	0.069
335/3	0.109
335/4	0.081
331/3	0.065
331/1	0.113
328/1	0.125
328/2	0.182
326/1	0.016
327	
356/1	0.032

(1)	(2)
356/2	0.101
324	0.053
322/2	
323/2	
356/3	0.045
357/2	0.016
357/1	0.016
320/3	0.133
322/1	
323/1	
321/2	0.315
321/1	
582/4	0.174
585/3	
582/5	
582/2	
581	0.181
582/1	0.069
576	0.210
579	
578	0.008
542	0.073
560/2	0.004
560/4	0.089
545	0.105
559	0.004
546/2	0.020
546/3	0.093
549	0.012
547/2	0.012
548	0.093
516/4	0.012
238	0.057
योग	5.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 720/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.998 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
904/1	0.065
904/2	0.069
903/1	0.020
903/3	0.049
903/2	0.020
905	0.016
902/1	0.113
902/2	0.008
909/4	0.069
911/1	0.041
911/2	0.041
921	0.081
922/2	0.045
870/2	0.028
869/3	0.024
869/5	0.052
869/2	0.032
868	0.077
863/1	0.057
864/1	0.004
867/2	
862	0.069
861	0.061

(1)	(2)
851/1	0.085
848/1	0.061
848/2	0.081
849/1	0.020
839/1-7 849/3 850/2-3	0.012
843/1	0.008
843/2	0.008
844/1	0.121
844/2	0.004
841/3	0.012
981/2	0.081
980/1	0.012
980/2	0.012
983	0.235
1000/4	0.158
1009/1	0.194
1008/1	0.004
1008/2	0.077
1009/4	0.117
1310	0.109
1004	0.020
1311	0.024
1312	0.063
1309	0.004
1314	0.085
1315	0.081
1324/1	0.101
1324/2	0.077
1324/3	0.061
1325/2	0.101
1325/3	0.101
1325/4	0.012
1336/1	0.061
1344	0.202
1343	0.048
1342	0.052
1341	0.008
1338	0.129
1340/1	0.081
1340/3	0.061
1339/1	0.113
1339/2	0.004
1368/1	0.057
योग 65	3.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 721/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
612/1	0.024
613/1	0.223
613/2	0.040
653	0.113
654	0.032
655/3	0.040
655/1	0.065
655/8	0.004

(1)	(2)
662	0.024
663	0.117
665/3	0.008
665/1	0.040
668/2	0.036
666/2	0.024
667/2	0.125
667/5	
694/1	0.032
655/4	0.101
692	0.206
691	
690	
688/2	0.101
689/2	
687/1	0.028
योग 20	1.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 722/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित् भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.057
93/2	0.065
92	0.089
88	0.061
87	0.061
89	0.004
90	0.016
86	0.040
4/1	0.032
9	0.020
8	0.121
7	0.109
14	0.069
24/1	0.134
23	0.130
22	0.040
24/2	0.057
24/4, 5	0.061
27/3	0.113
27/2	0.101
27/1	0.146
योग 21	1.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 723/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1477/2 ख	0.024
1477/2 ग	0.162
1476/2	0.040
1477/2 घ	0.085
1479/2	0.024
1477/2 ढ, 1477/2 ठ	0.080
1479/3	0.129
1477/2 ट	0.073
1479/4	0.222
1480/2	0.032
1659/2	0.251
1659/1	0.057
1657/6	0.049
1657/8	0.057
1660/2	0.032
1662/1-3	0.089
1662/2-4	0.089
1660/3	0.016
1663	0.154
1684	0.069
1683/1	0.121
1673/1	0.032
1672	0.061
2224/1	0.137
2227	0.065
2233	0.004
2232	0.105
2324/3	0.081
2324/1 घ	0.081
2334/1	0.364
2334/2	0.141
2339	0.121
2348	0.081
2349/2	0.113
2351/1	0.049
2362/1	0.081
2362/2 ख	0.040
2364	0.049
2365	0.081
2366/1	0.016
1661	0.004
2367/2	0.004
योग 42	3.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 724/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-रामभांटा, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.507 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
949/1	0.020
949/2	0.020
950/1	0.040
950/4	0.008
951	0.069
952	0.012
953	0.089
941/1	0.016
959	0.077
963	0.053
962	0.089
961	0.101
931	0.073
928	0.040
929	0.125
927/1	0.109
927/2	0.061
934/1	0.069
934/2	0.012
925	0.073
926	0.061
935	0.020
936	0.061
924	0.081
921	0.016
920	0.024
922	0.150
923	0.129
893	0.081
919	0.206
892	0.069
894	0.640
891	0.016
870, 871	0.032
869	0.008
873	0.130
859	0.073
842	0.029
843	0.004
1032/1	0.032
1032/2	0.081
1032/3	0.049
1032/4	0.032
844	0.004
845	0.344
839	0.008
836, 846	0.658
837	0.008
834	0.024
833	0.365
825	0.191
824	0.133
823	0.210
822	0.236
955, 991	0.146
योग 55	5.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 725/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-ठनगन प. ह. नं., 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
874/1	0.040
872/1	0.050
857	0.004
856/2	0.004
856/1	0.190
856/4	0.012
320/1	0.125
319	0.109
317	0.050
326	0.100
327/2	0.060
327/1	0.050
328	0.069
329	0.095
333	0.127
332/4	0.028
338/1	0.035
338/2	0.008
340	0.010
337	0.090
343	0.170
346/1	0.050
345/2, 346/2	0.060
336	0.004
239	0.004
281	0.008
282, 283/3	0.061
284/2	0.053
204	0.004
280	0.040
505/3	0.020
254	0.004
279	0.045
278	0.070
277	0.035
505	0.004
257	0.004
261	0.060
414/1	0.012
262	0.004
260	0.032
259	0.004
263	0.004
243	0.109
244	0.012
228	0.012
237	0.040
238	0.040
240	0.070
236/2	0.095
236/3, 236/4	0.150
योग 51	2.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र./1/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मटसगरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
980/1	0097
योग 1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-कामता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1 क	0.109
4/1 ख	0.101
7/2	0.097
7/3	0.093
7/4	0.045
7/7	0.141
7/8	0.121
7/9	0.477
7/13	0.218
10	0.109
12	0.016
6	0.324
7/1	
8/2	0.032
योग 12	1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-झगरहट्टा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	0.364

(1)	(2)
113/1	0.197
13	0.249
9/3	0.041
14	0.405
24	0.016
25	0.024
6	0.221
113/2	0.004
112/15	0.121
112/17	0.073
112/16	0.041
112/4	0.041
112/13	0.012
112/9	0.053
112/7	0.041
123/2	0.012
112/5, 112/6	0.053
122/1	0.032
122/2	0.032
121/2, 121/4	0.049
123/1	0.105
126	0.305
योग 23	2.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-सुरेठा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.004
11/4	0.105
13	0.186
16	0.121
19	0.057
18/1	0.073
18/4	0.065
35/6	0.243
20/1	0.008
योग 9	0.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-हेड़सपुर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129/2, 130/2	0.065
130/3	0.106
110/2	0.065
131/1	0.073
131/2	0.024
129/3, 130/4	0.028
129/1, 130/1	0.024
योग 7	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रामाकापा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.627 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.016
1/2	0.137
113/1, 114/1, 115	0.073
113/3, 114/3	0.081
117	0.283
206	0.214
122	0.032
124	0.129
127, 128	0.004
129	0.061
188	0.016
185, 186, 187	0.178
181, 182, 183	0.020
159	0.065
292/3	0.049
320	0.024
173	0.057
170/1	0.016
170/2, 169/1	0.081
169/2	0.089
174	0.032
167	0.057
168/1	0.032
168/2	0.028
291	0.101
292/2	0.089
319	0.065
313	0.024
310	0.061
314/6	0.093
314/3	0.137
302/1	0.105
302/3	0.129
315	0.008

(1)	(2)
317	0.032
योग 35	2.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-करूपान उर्फ बामपारा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.733 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/1	0.133
115/2	0.028
153/2	0.024
153/6	0.065
47/3	0.097
47/7	0.129
47/4 47/8	0.137
97/3	0.077
97/14	0.061
98/3	0.061
97/12	0.081
97/10	0.020
97/11	0.032
116/2	0.040
97/13	0.032
117	0.081
118/1	0.105
153/1	0.157
152/2	0.105
151	0.133
47/14	0.129
योग 21	1.733

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-करूपान, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.287 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/4	0.105

(1)	(2)
217/2	0.097
218/11 218/27	0.133
218/10	0.125
234/1 234	0.226
234/2	0.121
235	0.105
236/4	0.016
230	0.186
229/3	0.121
229/1	0.012
229/2	0.036
योग 12	1.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-टेमरी, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126/1	0.045
126/2	0.073
125	0.121
124/1	0.057
101/3	0.073
101/4	0.069
101/5	0.073
101/2	0.089
156/3	0.089
101/6	0.073
156/10	0.174
162/2	0.020
156/5	0.093
159/1	0.251
169/13	0.040
योग 15	1.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.421 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.461
23/2	0.153
23/1	0.194
24	
20/1	0.065
146/2	0.137
21	0.081
146/1	0.065
127/2	0.049
120	0.089
123	
145	
25/1	0.161
25/3, 28	0.527
26/1	
29/1, 30/2	
128/2	0.089
134/2	0.004
30/2 ग	0.024
30/2 घ	0.032
30/2 ङ	0.121
144/1	0.032
127/3	0.073
144/2	0.032
129	0.020
130	0.008
योग 21	2.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चातरखार, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76/1	0.016
77/1	0.081
463/1	0.153
योग 3	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-झगरहट्टा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.271 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/8, 9	0.032
178/10	0.020
178/1	0.077
178/2	0.045
178/5, 6	0.097
योग 5	0.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-करूपान, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/2	0.016
58	0.129
59/1	0.129
59/2	0.125
64/5	0.016
41/1	0.061
41/2	0.234
42	0.275
43	0.016
योग 9	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181/1, 185	0.194
186/1	0.069
206/1	0.069
205/1	0.089
205/2	0.032
211/11	0.069

(1)	(2)
211/10	0.113
211/15	0.279
211/14	0.012
214 215 216/1	0.429
294	0.016
299/2 299/4	0.097
293	0.121
299/5	0.113
292/1	0.049
303/4	0.125
303/1 304/1	0.129
303/6	0.061
307	0.077
329/1	0.243
302	0.057
211/4	0.024
योग 24	2.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, साक्षरता मार्ग अंबिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अंबिकापुर, दिनांक 11 नवम्बर 2002

क्रमांक 15/2002.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (25 सन् 1958) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में धारा 13 (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्ति जो कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक श्रम/4/रायपुर, दिनांक 20-3-2002 द्वारा श्रम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, और चूंकि जैसा कि श्रम पदाधिकारी कार्यालय सरगुजा के क्षेत्रांतर्गत स्थित बैकुण्ठपुर (औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र तथा ऐसी स्थानीय सीमा से तीन किलोमीटर तक का क्षेत्र) जहां पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ/28-132-99-सोलह-ए भोपाल के 3 मार्च, 2000 द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम को प्रभावशील किया है. अतः उक्त धारा 13 (3) (क) के तहत बंद दिवस (क्लोज डे) नियत किया जाना अनिवार्य है.

अतः एतद्द्वारा मैं, बी. एस. बरिहा, श्रम पदाधिकारी, अंबिकापुर उपरोक्त वर्णित स्थापनाओं में जो दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में परिभाषित है, के लिए वाणिज्यिक संघों की मांग तथा अधिनियम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए लोकहित में सप्ताह के एक दिन "शनिवार" को बंद दिवस (क्लोज डे) नियत करता हूं. तथा एतद्द्वारा निर्देश जारी करता हूं कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त संस्थानों पर प्रभावशील माना जावेगा.

बी. एस. बरिहा,
श्रम पदाधिकारी.